दैनिक
न्याय साक्षी

महत्वपूर्ण एवं खास

मतगणना कार्य का प्रथम प्रशिक्षण 17 दिसम्बर को

न्याय साक्षी/रायगढ़। नगरीय निकाय निर्वाचन 2019 नगर पालिक निगम रायगढ़ के निर्वाचन पश्चात मतगणना हेतु प्रथम चरण का प्रशिक्षण 17 दिसम्बर को दोपहर 2 बजे से शासकीय पॉलीटेक्निक कालेज रायगढ़ में आयोजित की जाएगी।

18 दिसम्बर को शुष्क दिवस घोषित

न्याय साक्षी/रायगढ़। शासन द्वारा गुरूघासीदास जयंती 18 दिसम्बर 2019 को शुष्क दिवस घोषित किया गया है। उक्त शुष्क दिवस पर जिले की समस्त देशी मदिरा (सी.एस.-2 घघ), विदेशी मदिरा (एफ.एल-1 घघ एवं एफ.एल.-3होटल बार)दुकानें तथा भण्डारण भाण्डागार पूर्ण रूप से बंद रखी जाएगी। कलेक्टर ने संबंधित विभाग को उक्त आदेश का कड़ाई से पालन करने हेतु निर्देशित किया है।

जिले में तीन स्थानीय अवकाश घोषित

न्याय साक्षी/रायगढ़। छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के अधिसूचना अनुसार प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी यशवंत कुमार ने कैलेण्डर वर्ष 2020 के लिए रायगढ़ जिले में तीन स्थानीय अवकाश घोषित किया है। जिनमें 23 जून 2020 मंगलवार को रथयात्रा, 24 अक्टूबर 2020 शनिवार को दुर्गाष्टमी/महानवमी एवं 26 नवम्बर 2020 गुरूवार को देवउठनी/कार्तिक एकादशी शामिल है। उक्त अवकाश कोषालय/उपकोषालय एवं बैंकों के लिए लागू नहीं होगा।

आईटीआई रायगढ़ में प्लेसमेंट कैम्प 17 दिसम्बर को

न्याय साक्षी/रायगढ़। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था रायगढ़ में स्कार्ट लिमिटेड मथुरा रोड फरीदाबाद हरियाणा के द्वारा 17 दिसम्बर 2019 को प्रातः10.30 बजे से प्लेसमेंट कैंपस का आयोजन किया जाएगा। समस्त व्यवसायों के उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थी प्लेसमेंट कैंप चयन प्रक्रिया में भाग ले सकते है। इच्छुक आवेदक शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण-पत्र, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साईज फोटो एवं अन्य दस्तावेजों के साथ नियत तिथि एवं समय पर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था रायगढ़ में उपस्थित हो सकते है।

वार्ड क्रमांक 2 के प्रत्याशी प्रफुल्ल (राजू) महाराज 2 दिवस के भीतर व्यय लेखा प्रस्तुत करें

न्याय साक्षी/रायगढ़। छ.ग.नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा का पालन करते हुए छ.ग.राज्य निर्वाचन आयोग के निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण एवं प्रस्तुति)आदेश के तहत निर्वाचन व्यय संपरीक्षक को निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत करने हेतु 12 एवं 17 दिसम्बर 2019 हेतु तिथि निर्धारित की गई है। ज्ञात हो कि वार्ड क्रमांक 2 धांगरडीपा रामभांठा के इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रत्याशी प्रफुल्ल (राजू)महाराज द्वारा 12 दिसम्बर को व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया है। नगर पालिक निगम रायगढ़ के उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने संबंधित को 2 दिवस के अंदर अपना स्पष्टीकरण सहित निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत करने हेतु कहा है। अन्यथा आईपीसी की धारा 171-आई के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर समस्त अनुज्ञा/वाहन अनुमति के निरस्तीकरण की कार्यवाही की जाएगी।

कार से 39.20 लाख रूपये बरामद, चालक गिरफ्तार

कवर्धा (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में मध्यप्रदेश सीमा पर पुलिस ने चेकिंग पाईंट पर वाहनों की जांच के दौरान एक कार की डिक्की से 39.20 लाख रूपये बरामद किया है। पुलिस ने मामले में कार चालक को भी हिरासत में लिया है जिससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कवर्धा जिले के चिल्फी थाना क्षेत्र में मध्यप्रदेश सीमा पर वाहनों की चेकिंग पाईंट पर पुलिस ने एक संदिग्ध हुण्डई कार एमपी-20 सीई3052 की तलाशी ली तो उसकी डिक्की से 39.20 लाख रूपये मिले। उक्त रकम के संबंध में जब कार के चालक आशीष साहू पिता जगदीश निवासी सागर मध्यप्रदेश से पूछताछ की गई तो उसके द्वारा रकम को लेकर कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जा सका। जिसके बाद पुलिस ने रकम और कार को जब्त कर चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।

एटीएम में तोड़फोड़ कर फरार हुआ एक आरोपी गिरफ्तार

न्याय साक्षी/रायगढ़। दिनांक 08-08-2019 की रात्रि केन्द्रीय विद्यालय सर्किट हाऊस के पास स्थित एसबीआई एटीएम मशीन को तोड़फोड़ कर कैश फीट बैंक से 26,65,000 हजार रूपये चोरी के मामले में फरार एक आरोपी को कोतवाली पुलिस द्वारा तमनार से गिरफ्तार किया गया है।

ज्ञात हो कि घटना के संबंध में एम्फेसिस कंपनी के जिला क्रियान्वयन त्रिलोचन साव की रिपोर्ट पर थाना कोतवाली में अज्ञात आरोपियों के विरूद्ध अप.क्र. 595/19 धारा 380 आईपीसी पंजीबद्ध किया गया था। विवेचना दरम्यान थाना तमनार अन्तर्गत ग्राम महलोई निवासी सुरेश गुप्ता , परमेश्वर भगत और उनके साथी कार्तिक भगत को गिरफ्तार कर आरोपियों के कब्जे से रू 7,76,000 नगद एवं चोरी की रकम से खरीदी गई दो मोटरसाइकिल तथा एक नया मोबाइल विवो कंपनी का एंव एटीएम मशीन जप्त किया गया था। गिरफ्तार आरोपियों ने घटना में 05 अन्य युवकों को शामिल होना बताये थे जिन पर पुलिस निगाह रखे हुये थी कि फरार आरोपी मयंक यादव के 2-3 दिन पूर्व घर आने की सूचना कोतवाली पुलिस को मुखबिर से मिला जिस पर थाना कोतवाली से ए.एस.आई. जयमंगल निषाद एवं हमराह स्टाफ द्वारा आरोपी मयंक यादव के घर दबिश देकर आरोपी को दिनांक 12.12.19 के रात्रि गिरफ्तार किया गया। आरोपी मयंक यादव पिता कार्तिक राम यादव उम्र 25 साल निवासी लम्डार खुरूसलेंगा थाना तमनार से वारदात में प्रयुक्त लोहे का सब्बल जप्त किया गया है। आरोपी को आज रिमांड पर भेजा गया है। प्रकरण में पूर्व गिरफ्तार हुये आरोपियों के विरूद्ध में चालान न्यायालय पेश किया जा चुका है। आरोपी मयंक यादव के विरूद्ध धारा 173(8) सीआरपीसी के तहत पूरक चालान पेश किया जाएगा। अन्य फरार आरोपियों की पतासाजी के लिए कर्मचारी व मुखबीर लगाए गए हैं।

ईनाम के लालच में महिला ने 48 हजार 9 सौ रूपये गंवाये

» धोधाखड़ी की शिकायत पर खरसिया में अपराध दर्ज

न्याय साक्षी/रायगढ़। थाना खरसिया में ग्राम चपले में रहने वाली श्रीमती शांति पटेल पति विजय पटेल उम्र 27 वर्ष ने मोबाईल नम्बर 917023××××× के धारक द्वारा मोबाईल मैसेज कर 2.85 लाख रूपये एवं पल्सर बाईक जीतने का झांसा देकर अपने खाते में 48,900/- रूपये जमा कराकर धोखाधड़ी करने संबंधी आवेदन पत्र दिनांक 13.12.19 को दिया गया है।

पीड़िता ने बताया कि दिनांक 08.12.2019 को इसके मोबाईल पर मैसेज आया कि एयरटेल कम्पनी द्वारा निकाला गया ईनाम में इसे 2,85,000/- रूपये एवं पल्सर बाईक का विजेता घोषित किया गया है। मैसेज 917023××××× से आया था जिससे महिला द्वारा बात करने पर उसने कागजात बनाने के लिये पहले अपने एकाउण्ट में 500/- रूपये जमा कराया।

उसके बाद दिनांक 09 से 11.12.19 के बीच महिला ने कॉलर के कहने पर रकुल 48,900/- रूपये उसके खाता में जमा करायी। दिनांक 12.12.19 को कॉलर ने महिला को कॉल कर कहा कि पहले की फाईल रद्द कर दी गई है , फिर से फाईल बनानी पड़ेगी। तब महिला को एहसास हुआ कि फर्जी ईनाम की बात कर उससे रूपये ठग लिये गये हैं। पीडित महिला के प्रस्तुत आवेदन पर मोबाईल नम्बर 917023××××× के धारक के विरुद्ध थाना खरसिया में अप.क्र. 530/19 धारा 420 भादवि दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।

पिकअप और बदन आपस में भिड़े, वाहन में फंसे पिकअप चालक को डयाल 112 ने पहुंचाया अस्पताल

न्याय साक्षी/रायगढ़। सारंगढ़ राइनो दिनांक 13.12.2019 के सुबह 7:25 बजे रोड एक्सीडेंट के इवेंट पर सिंचाई कॉलोनी रानीसागर पहुंची। जहां पिकअप और बदन बस के बीच भिड़ंत होने से पिकअप वाहन का चालक रोशन राजपूत पिता गुलाब सिंह राजपूत उम्र 22 साल निवासी हीरापुर जिला रायपुर पिकअप में फंस गया था। मौके पर पहुंचे राइनो स्टॉफ आरक्षक महेंद्र माकों एवं आसपास के लोगों ने पिकअप में से ड्राइवर को निकालकर ईआरबी वाहन से सीएचसी सारंगढ़ ईलाज के लिये भिजवाये।

11 चांदी के सिक्के और 25 हजार रूपये लेकर फरार हुआ पिकअप चालक गिरफ्तार

» मामले में बेईमानी की सम्पत्ति का खरीददार ज्वेलर्स भी गिरफ्तार, पूंजीपथरा पुलिस की कार्यवाही

न्याय साक्षी/रायगढ़। थाना पूंजीपथरा अन्तर्गत ग्राम सराईपाली में रहने वाला सुशील अग्रवाल पिता अमरेश अग्रवाल उम्र 32 साल किराना एवं जनरल स्टोर चलाता है। दिनांक 29.11.19 को सुशील अग्रवाल अपने पिकअप चालक राजेन्द्र निषाद को 90,000 रूपये नगद देकर रायगढ़ सामान लेने रायगढ़ विजय कोकोनट के यहां भेजा था। पिकअप चालक राजेन्द्र निषाद समान लेकर शाम करीब 6 बजे वापस आया और पिकअप को दरवाजा में खड़ी करके बिना कुछ बताए चला गया और वापस नही आया। तब सुशील अग्रवाल ने विजय कोकोनट से मोबाईल से पता किया जिसने बताया कि राजेन्द्र निषाद 65,000 रूपये का समान लिया था जिसे राजश्री का कूपन में 11 नग चांदी का सिक्का दिया हूं। तब सुशील अग्रवाल को जानकारी हुआ कि राजेन्द्र निषाद नगदी बचत 25,000 रू0 और 11 नग चांदी का सिक्का लेकर भाग गया है जिसे सुशील अग्रवाल अपने स्तर पर पता कर रहे थे। दिनांक 12.12.19 को सुशील अग्रवाल के मामा को जूटमिल के पास राजेन्द्र निषाद मिला जिसे लेकर सराईपाली आये। तब राजेन्द्र निषाद चांदी के सिक्कों को बेचकर मिले सभी रूपयों को जुआ में हार जाना बताया। सुशील अग्रवाल द्वारा दिनांक 12.12.19 को घटना के संबंध में थाना पूंजीपथरा में रिपोर्ट दर्ज कराने पर पिकअप चालक राजेन्द्र निषाद पिता संतराम निषाद उम्र 36 वर्ष सा. सराईपाली थाना - पूंजीपथरा के विरूद्ध अप.क्र. 237/19 धारा 406 भादंवि का अपराध पंजीबद्ध किया गया है।

पूंजीपथरा पुलिस द्वारा आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा बचत के 25,000 रूपये तथा चांदी के सिक्को को जूटमिल के बिन्धवासीनी जेवलर्स में बेचने पर मिले 1500 रूपयों को भी जुआ में हार जाना बताया। विवेचनाक्रम में चांदी के सिक्को के खरीददार बिन्धवासीनी जेवलर्स के दुधनाथ सोनी पिता अमरनाथ सोनी उम्र 36 वर्ष सा. हीरानगर मिठ्ठुमुड़ा चौकी - जूटमिल को हिरासत में लिया गया है जिससे 10 नग चांदी का सिक्का बरामद किया गया है। प्रकरण में धारा 411 भादवि विस्तारित कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर आज रिमांड पर भेजा गया है।

धान खरीदी की आवश्यक तैयारी और समुचित व्यवस्था के लिए कलेक्टर ने किया धान उपार्जन केन्द्रों का निरीक्षण

» अब तक जिले में अवैध भण्डारण के 134 प्रकरण

» 44282.36 क्विंटल धान जप्त

» 11 अंतरराज्यीय प्रकरण एवं 4 एफआईआर

न्याय साक्षी/रायगढ़। कलेक्टर यशवंत कुमार ने धान खरीदी की आवश्यक तैयारी और समुचित व्यवस्था के लिए जिले के धान उपार्जन केन्द्रों का निरीक्षण किया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह उपस्थित थे।

कलेक्टर यशवंत कुमार ने घरघोड़ा धान खरीदी केन्द्र में उपार्जित धान की गुणवत्ता का परीक्षण किया। उन्होंने प्रबंधक को निर्धारित गुणवत्ता का धान नमी परीक्षण कर खरीदी करने की सख्त हिदायत दी।

साथ ही कुडूमकेला समिति की उपकेन्द्र घरघोड़ी का भी औचक निरीक्षण किया एवं समिति प्रबंधक को किसानों का धान ढेरी लगाकर नियमानुसार समिति के स्टेंसिल युक्त बोरो में खरीदी कर गणना योग्य स्टेकिंग करने के निर्देश दिए। अभी तक जिले में 134 प्रकरण अवैध भण्डारण एवं परिवहन में 44282.36 क्विंटल 26 वाहन की जप्ती बनायी गई। अंतरराज्यीय प्रकरण 11 बनाये गये है, वहीं 4 एफआईआर कराये गये है। इस अवसर पर अपर कलेक्टर आर.ए.कुरूवंशी, खाद्य अधिकारी जी.पी.राठिया, सहायक खाद्य अधिकारी कौशल साहू सहित अन्य अधिकारी-कर्मचारी मौजूद थे।

दो गर्भवती महिलाओं को डायल 112 टीम ने पहुंचाया अस्पताल

न्याय साक्षी/ रायगढ़। संयोग से आज दिनांक 13.12.2019 के सुबह सरिया और लैलूंगा राइनो को गर्भवती महिलाओं को तत्काल अस्पताल पहुंचाने की आवश्यकता देख कॉलरों ने डॉयल 112 को सम्पर्क किये। सुबह करीब 04:50 बजे सरिया राइनो ग्राम तारपाली पहुंची जहां से गर्भवती महिला कविता मिरी पति अकबर मिरी उम्र 20 साल को उपचार सीएचसी सरिया लाया गया।

वहीं सुबह करीब 9:50 बजे लैलूंगा राइनों मेडिकल इमरजेंसी के इवेंट पर ग्राम हीरापुर ई.आर.बी. वाहन से प्रसव पीड़ा से तड़प रही श्रीमती साधना सिंह पति टीकम सिंह सिदार उम्र 28 साल निवासी हीरापुर को सीएचसी लैलूंगा लेकर आयी। दोनों ही गर्भवती महिलाओं ने अस्पताल में स्वस्थ बच्ची को जन्म दी है।

जिला स्तरीय युवा महोत्सव का शुभारंभ 15 दिसम्बर को

न्याय साक्षी/रायगढ़। जिला स्तरीय युवा महोत्सव-2019 का आयोजन 15 दिसम्बर 2019 को प्रातः 10 बजे से शा.उ.मा.विद्यालय, महापल्ली में किया जाएगा।

इस आयोजन में समस्त 09 विकासखण्डों से लगभग 600 प्रतिभागी भाग लेंगे। प्रतियोगिता में विजेताओं को राज्य स्तरीय युवा महोत्सव में भाग लेने का अवसर प्राप्त होगा। रायगढ़ विकासखण्ड के प्रतिभागियों के लिए वाहन व्यवस्था, रायगढ़ स्टेडियम में की गई हैं। रायगढ़ स्टेडियम से महापल्ली के लिए प्रातः 8:00 बजे दल को रवाना किया जाएगा। जिला स्तरीय हेतु चयनित प्रतिभागी 15 दिसम्बर को प्रातः 8:00 बजे रायगढ़ स्टेडियम में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

दुग्ध कंपनी से लाखों की ठगी करने वाला आरोपी दिल्ली में पकड़ाया

रायपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ के दुग्ध उत्पाद कंपनी सारडा डेयरी एंड फूड्ड प्रोडक्टस लिमिटेड से करीब 30 लाख रूपये की ठगी कर फरारी काट रहे आरोपी बलदेव भुई को दिल्ली में गिरफ्तार किए जाने की खबर है।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी कंपनी संचालक बलदेव भुई के खिलाफ पहले से ही कटक (ओड़िशा) में तथा जयपुर (राजस्थान) में मामला दर्ज है। बीते अगस्त में आरोपी ने सारडा डेयरी एंड फूड्ड प्रोडक्टस लिमिटेड देवेंद्र नगर रायपुर में है। वहीं प्लांट नायक तांड खरोरा जिला रायपुर में स्थित है से ओफिंग हेल्थ वर्ल्ड की स्किम्ड मिल्क पाउडर के लिए 20 मीट्रिक टन की डील हुई थी।

डेंगू के लक्षण एवं बचाव के संबंध में दी गई जानकारी

न्याय साक्षी/रायगढ़। कलेक्टर यशवंत कुमार ने जिले के जनसामान्य को जानकारी देते हुए बताया कि रायगढ़ शहर में डेंगू नियंत्रण हेतु जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम निरंतर कार्यरत है परंतु डेंगू नियंत्रण हेतु हम सबकी भागीदारी बहुत अहम भूमिका निभाती है।

उन्होंने कहा कि डेंगू के लक्षण दिखाई देने पर समय रहते ही त्वरित जांच कराये। समस्त निजी अस्पतालों में डेंगू जांच की राशि 250 रूपये निर्धारित की गई है तथा आयुष्मान भारत कार्ड के प्रयोग करने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के द्वारा घरों में जाने पर उनका सहयोग करें।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने जन सामान्य से अपील की है कि डेंगू के मच्छर घर के अंदर बहुत दिनो से रखे हुए पानी, खुली पानी की टंकी में होता है जो प्रायः दिन में काटता है। यह मच्छर रोग का वाहक होता है तथा एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ शरीर में डेंगू वायरस पहुंचाता है। लोगों को कहा कि अपने घरों में रखा हुआ गमलों की जांच कर लें। उसमें भरा हुआ पानी में डेंगू के मच्छर हो सकते है।

कूलर में यदि जमा होगा पानी उसे भी बाहर निकाल दें। रूके एवं जमा पानी में टेमीफॉस दवा का प्रयोग अवश्य रूप से करें। फिर उस पानी को सूखे समतल जमीन पर डाल दे। घर के पास पानी जमा न होने दे। गड्ढ़ो में जला हुआ मोबिल, मिट्टी तेल का छिड़काव करे, दिन को सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करे। क्यो कि डेंगू(एडिस) मच्छर दिन को काटते है।

इन मच्छरों के काटने का समय सूर्योदय के बाद सूर्यास्त के दो घंटे पहले तक रहता है। जनसामान्य फूल आस्तीन के कपड़े पहने और अपने घरों के आस पास स्वच्छता बनाये रखे। नालियो में डिस्पोजल कप, गिलास, बोतलो को न फेकें, क्यों कि वर्तमान में नालियों में पड़े डिस्पोजल में डेंगू के लार्वा पाये गये है। रायगढ़ में ढ़ाबा,व्यवसायिक क्षेत्र, रेस्टोरेन्ट, टायर दुकान, होटल मोटर सर्विसिंग सेंटर, व्यवसायिक काम्प्लेक्स में रूके हुए पानी की टंकियो में मच्छरों के लार्वा पाये जा रहे है। इन स्थानों में विशेष ध्यान देने की जरूरत है।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO :- CHHHIN/2018/76480